

	ग्राम साधारण निकाय की संपत्ति एवं दायित्व के निपटान की रीति; (ख) ग्राम साधारण निकाय के सदस्यों की मतदाता सूची तैयार करने की रीति तथा विवरण जो इसमें शामिल होगा और रीति जिसके धारा 8 के अंतर्गत इसे संशोधित किया जाएगा ; (ग) धारा 9 की उप धारा (3) के तहत ग्राम साधारण निकाय की बैठक की सूचना देने की रीति; (घ) महिलाओं और फस्ट कैप्टन के लिए आरक्षित सीटों को धारा 11 के परन्तुक के अधीन विभिन्न ग्राम परिषदों तथा विभिन्न चुनाव क्षेत्रों में पारी-पारी से चुनाव आयोग द्वारा आबंटित की जाएगी । (च) धारा 20 की उप धारा (1) के अधीन फर्स्ट कैप्टन के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए दिए जाने वाले आवश्यक नोटिस; (छ) धारा 21 की उप धारा (1) के अधीन सेकेन्ड कैप्टन के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव के लिए दी जाने वाले आवश्यक नोटिस के लिए अवधि; (ज) धारा 23 की उप धारा (5) के अधीन सचिव, अन्य अधिकारीगण तथा कर्मचारियों की सेवा की शर्तें; (झ) धारा 24 की उप धारा (1) के अधीन ग्राम परिषद की बैठक तथा स्थान और उस बैठक में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया; (ट) धारा 24 की उप धारा (2) के अधीन संकल्प पारित करने की प्रक्रिया तथा प्रश्न प्रस्तुत करना; (ठ) धारा 25 की उप धारा (1) के अधीन नियंत्रण तथा प्रतिबंधित जिसके आधार पर ग्राम परिषद समितियों कर सकता है; (ड) धारा 25 की उप धारा (2) के अधीन कारण एवं रीति जिसके तहत समिति का विघटित अथवा पुनर्गठित किया जा सकता है; (ढ) शर्तें जिसके आधार पर प्रशासक धारा 30 की उप धारा (1) के अधीन भू राजस्व एकत्रित करने तथा अन्य वसूली किए	
--	---	--